an>

Title: Need to ensure payment of arrears of sugarcane to farmers by mills in Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज)ः भारत के किसानों की नकदी फसल गन्ना है जिसके आमदनी से किसान अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इसके बावजूद देश के गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2014 से 2015 का लगभग 21000 करोड़ रूपया चीनी मिलों पर बाकी है। भारत के गन्ना उत्पादक किसानों का केवल उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2013 से 2014 में 119 चीनी मिलों द्वारा करीब 19 हजार 387 करोड़ रूपये दिये जाने थे, लेकिन अभी तक 12 हजार 254 करोड़ रूपये का भुगतान हो पाया है। अभी भी 7 हजार 132 करोड़ रूपये चीनी मिलों पर बकाया है। किसान अपने बकाया मूल्य के लिए चीन मिलों एवं केन यूनियन के कार्यालयों में परिक्रमा करने के लिए बाध्य हो रहा है। जबकि Sugar Cane Control Act, 1966 में यह स्पष्ट निर्धारित है कि गन्ने का मूल्य का भुगतान आपूर्ति के 14 दिन के भीतर हो जाना है और ऐसा न करने पर निर्धारित अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले पेराई सत्र के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के कारण यू.पी. में चीनी उत्पादन 13 फीसदी से घटकर 64.2 लाख टन रह गया था। चीनी मिलों के खिलाफ सुनिश्चित कार्यवाही न होने से किसानों के सामने काफी संकट पैदा हो गया है। अतः भारत सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।